

29/11/19

सुनवाई के तारिख - पत्र पर दिनांक
20/12/19 से आज तक की गई।
निर्णय दिनांक 9/1/19 के अनुसार
तहसीलदार जोरिया से विभाजन प्रस्ताव
प्राप्त हुआ। उमय पक्षकारान को सुना
गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव अनुको
उमय पक्षकारान ने स्वीकार किया।
विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया
गया। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व
वादपत्र में वर्णित हिस्से अनुसार

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

विभाजन प्रस्ताव सही है। अतः विभाजन
प्रस्ताव अनुसार वादपत्र के अंतिम
डिफ़्टी जारी किया जाना उचित प्रतीत
होता है।

अब: विभाजन प्रस्ताव के अनुसार
अंतिम डिफ़्टी जारी की जाती है।
विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28/11/19
अंतिम डिफ़्टी का भाग रहेगा। तदनुसार
राजस्व रेकार्ड में अमल दराभद करवाने
हेतु तहसीलदार औरियां को तहरीर
जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम की जाकर दाखिल
दफ़्तर हो।

बहायक कलेक्टर, धारवा

अंतिम डिग्री व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 21, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसिया
बड़जलास श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
रविन्द्र प्रसाद		कालुखां वगैरा

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

वाद संख्या:- 102/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रू-ब-रू पक्षकारान बहाजरी श्री जसवन्तसिंह चौहान एडवोकेट मिनजानिब मुदई, प्रतिवादी संख्या 3 से 6, 9, 11 व 13 से 21 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश मंदेरणा मिन जानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्राथमिक डिग्री के अनुसार तहसीलदार ओसियां द्वारा दिनांक 28.11.2019 को प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 1521/3 में बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि विभाजित की जाती है तथा स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि बाद विभाजन प्रतिवादीगण, वादी के हिस्से की विभाजित भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें, वादी को बेदखल नहीं करें और न ही किसी से करावें तथा तहसीलदार ओसियां द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 28.11.2019 इस डिग्री का भाग समझा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। उपरोक्त अनुसार डिग्री जारी की जाती है।

निज..... मुबलिग..... बाबत्..... खर्चा इस मुकदमे के नय सूद व शहर..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..... को अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29/11/19 को जारी की गई।



(Signature)
सहायक कलेक्टर, ओसियां

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	/	/	स्टाम्प वकालत नामा	/	/
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मतफरकत		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

(Signature)
सहायक कलेक्टर, ओसियां